

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	15 3/24	<p>पत्राकली वास्ते आदेश देवा दुई हें। प्रार्थी के प्रार्थन पत्र सं (उपलब्ध रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थन पत्र अन्तर्गत धारा - 128 यू.एल.ए अधिनियम बाबत सीमाचिह्न कायम किये जाने हेतु स्वीकार किया जाता है।</p> <p>विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया जाका इस आदेश का अभिन्न भाग रहेगा।</p> <p>पत्राकली फिलहाल शुभान्त धरने द्वारा नष्ट से कम है।</p>

36
उपखण्ड अधिकारी
सपत्तन 15/3/24